राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(29) ग्राविवि–5/सां./M&E Reports/2019–20/पार्ट–I जयपुर, दिनांक २१ जुलाई, 2019

– :: विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यवाही विवरण :: –

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक सूचना पत्र दिनांक 22.07.2019 के क्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि की अध्यक्षता में दिनांक 24.07.2019 को मुख्यभवन सचिवालय एनआईसी से प्रातः 11 बजे से 1.30 बजे तक जिला कलक्टरों की उपस्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं योजना प्रभारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया।

उक्त विडियो कॉन्फ्रेंस में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की एजेण्डेवार विस्तृत चर्चा/समीक्षा उपरांत अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि द्वारा निम्नानुसार निर्णय/निर्देश प्रदान किये गये :–

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण :–

बिन्दु संख्या 1 :– प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत 1 वर्ष से अधिक प्रगतिरत /अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने के संबंध में :–

- योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक स्वीकृत समस्त आवासों को पूर्ण कराने एवं प्रथम किश्त हस्तानान्तरण के 12 माह उपरांत भी अपूर्ण 28791 आवासों की सघन समीक्षा कर शत प्रतिशत स्वीकृत आवासो को 15 अगस्त, 2019 तक पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- उक्तानुसार कम प्रगति वाले जिले करौली, टोंक, बूंदी, जालोर, एंव डूंगरपुर के जिला कलटक्र को अपने स्तर से विशेष समीक्षा कर कार्य मे शिथिलता बरतने वाले दोषी अधिकारियो/कर्मचारियो के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्या 2 :– वर्ष 2019–20 के आवंटित लक्ष्यानुसार स्वीकृतियां जारी कराने के संबंध में :–

- वरीयता क्रम में शामिल अपात्र लाभार्थियों को रिमाण्ड मॉड्यूल के माध्यम से हटाये जाने के क्रम में ग्राम पंचायतवार वर्गवार जारी स्वीकृति एवं वर्गवार वरीयता में छोडे गये परिवारों को समीक्षा कर रिमाण्ड मॉड्यूल पर दर्ज करवाया जावे।
- वरीयता क्रम में छोडे गये लाभार्थियों की पात्रता की समीक्षा कर अपात्र लाभार्थियों को रिमाण्ड मॉड्यूल पर दर्ज करने एवं पात्र लाभार्थियों के छोडने के कारणों का परीक्षण कर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
- उक्तानुसार वरीयता सूची में वर्ष 2018–19 तक स्वीकृत अंतिम वरीयता क्रमांक तक छोडे गये परिवारों में से समस्त अपात्र परिवारों के रिमाण्ड मॉडयूल पर दर्ज होने की सुनिश्चितता उपरांत ही वर्ष 2019–20 हेतु आवंटित लक्ष्यानुसार स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जावें।
- वर्ष 2019–20 हेतु लक्ष्यानुसार रजिस्ट्रेशन, जियो टेगिंग एवं तदुपरांत स्वीकृति जारी की जावें। स्वीकृत आवासों को महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत मस्टररोल जारी कराकर आवास निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्या 3 :– मैसन प्रशिक्षण आयोजित किये जाने के संबंध में :–

- आवासो के चिन्हिकरण, क्लस्टर निर्माण, लाभार्थियो के बैंक खाते विवरण की प्रगति तथा CSDCI से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से Technical Bid प्राप्त करने करने एंव मैसन प्रशिक्षण हेतु "EOI" जारी करने से शेष रहे जिलों को अतिशीघ्र जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

- मैसन प्रशिक्षण हेतु कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार (www.msde.gov.in) द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर के अनुसार प्रशिक्षण प्रदाता को भुगतान किये जाने का प्रावधान है, अतः Financial Bid आमंत्रित नही की जावें एवं जिला अपनी आवश्यकतानुसार CSDCI से मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या निर्धारित कर सकता है।

बिन्दु संख्या 4 :– योजना की स्थाई वरीयता सूची में शामिल भूमिहीन पात्र परिवारों को भूखण्ड आवंटन/पट्टे जारी किये जाने के संबंध में :–

- पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 15.08.2019 से 2.10.2019 तक महात्मा गांधी ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन प्रस्तातवित है, उक्त शिविरों के दौरान योजना की स्थाई वरीयता सूची में शामिल शेष रहे भूमिहीन पात्र परिवारों को नियमानुसार भूखण्ड आवंटन/पट्टे जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्या 5 :– SECC-2011 के डाटा संबंधित भारत सरकार को प्रेषित लम्बित प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु वांछित प्रमाण–पत्र/ दस्तावेज प्रस्तुत के संबंध में :–

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के कम में जारी विभागीय पत्र दिनांक 15.07.2019 के अनुसार कार्यवाही कर रीमैपिंग के प्रस्ताव 3 दिवस में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।
- वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य के मध्यनजर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ग परिवर्तन एवं ग्राम पंचायत में रीमैपिंग के प्रकरणों में दियें गयें निर्देशों के कम में जिलो को निम्न निर्देश प्रदान किये गयें हैः–
  I. रीमैपिंग हेतु प्रस्तावित ग्राम में यदि एक भी स्वीकृति जारी हो गयी हो तो शेष पात्र लाभार्थियो की स्वीकृतियां भी वरियता कम में उसी ग्राम पंचायत में जारी की जावें।
  II. स्थायी वरीयता सूची में प्रदर्शित लाभार्थी जिस वर्गवार वरीयता सूची में प्रदशित हो रहों हो उसी वर्ग मे वरीयता कम में लाभान्वित किया जावें, चाहे लाभार्थी उस वर्ग का नही हों।

बिन्दु संख्या 7 :– प्रोटो–टाईप आवास निर्माण के संबंध में :–

- योजनान्तर्गत राज्य हेतु नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित डिजाइनों में से ही जिले के लिए उपयुक्त मॉडल डिजाइन का उपयोग कर प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर अलग–अलग डिजाइन के दो प्रोटोटाइप आवास का निमार्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्या 8 :– CMBPL & IAY के अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने पर के संबंध में :–

- इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत 53783 अपूर्ण/प्रगतिरत एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत 41920 अपूर्ण/प्रगतिरत है। उक्तानुसार कुल 95703 अपूर्ण/प्रगतिरत आवासों को ठोस प्रयास कर प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्र दिनांक 13.02.2017 (प्रति वेबसाईट पर उपलब्ध) द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत अपूर्ण कार्यों को लाभार्थी की सहमति से ग्राम पंचायत/पंचायत समिति द्वारा पूर्ण कराया जा सकता है। अतः तदुनसार अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करावें।

बिन्दु संख्या 9 :– MoRD हेतु आवास योजना अंतर्गत सफलता की कहानी / अच्छे निर्मित आवासों की फोटो को प्रेषित करने के संबंध में :–

- प्रत्येक जिला स्तर से निर्धारित प्रारूप में 3–3 सफलता की कहानी एवं अच्छे निर्मित आवासों की फोटो प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

पंचायती राज विभाग :–

कम्प्यूटर संबंधी कार्य एवं विभागीय पोर्टल के संबंध में :–

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1) पंचायती राज विभाग ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को विभाग की कम्प्यूटर शाखा से संबंधित योजनाओं के संबंध मे चर्चा करते हुए निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गयेः–

1. विभागीय आई.सी.टी कार्य योजना एवं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना बाबत किये जाने वाले कार्यो पर चर्चा करते हुए पीईएस एप्लीकेशन के विभिन्न एप्लीकेशन्स पर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत करवाते हुए शत–प्रतिशत प्रगति रिपोर्ट दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. प्लान–प्लस एप्लीकेशन वर्ष 2019–20 पर दर्ज समस्त कार्यो/गतिविधियों की वार्षिक कार्य योजना तैयार कर फ्रीज/अनुमोदन करने हेतु निर्देशित किया गया।
3. सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक्शन सॉफ्ट पर प्लान–प्लस एप्लीकेशन में वर्ष 2018–19 तथा वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्य योजना को पोर्ट करने तथा एम–एक्शन सॉफ्ट के माध्यम जिओ टेंगिग कर फोटोग्राफ अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया।
4. प्रिया सॉफ्ट मे वर्ष 2015–16 से वर्ष 2018–19 तक समस्त स्तर की बुक क्लोज करने तथा समस्त स्तर की बुक दिनांक 29.07.2019 तक क्लोज करने के लिए निर्देशित किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण):–

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत विशेष राष्ट्रीय जागरूकता हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में चार पेंटिग करवाया जाना एवं एक खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) का बोर्ड लगाया जाने का आपको लक्ष्य आंविटत किया गया था। इस अभियान के अन्तर्गत प्रगति बहुत ही कम है। अजमेर में 5490 के लक्ष्य के विरूद्ध 92, भरतपुर में 7135 के लक्ष्य के विरूद्ध 93, गंगानगर में 13970 के लक्ष्य के विरूद्ध 62, जैसलमेर मे 3320 के लक्ष्य के विरूद्ध 13, बांरा में 5510 के लक्ष्य के विरूद्ध 7, हनुमानगढ में 9130 के लक्ष्य के विरूद्ध 7, बांसवाड़ा में 7050 के लक्ष्य के विरूद्ध 3, कोटा में 3910 के लक्ष्य के विरूद्ध 1 तथा जोधपुर में 9200 के लक्ष्य के विरूद्ध 1 की प्रगति अर्जित की गयी है तथा शेष जिलो में प्रगति शून्य है। ऐसी स्थिति में प्रगति बहुत कम होने पर अति0 मुख्य सचिव महोदय ने गंभीरता से लिया तथा समस्त सीईओ का निर्देशित किया कि शत–प्रतिशत उपलब्धि 31.07.2019 तक अर्जित किया जाना सुनिश्चित करे।

LOB (Left out of beneficiaries) शौचालय निर्माण की राज्य औसत प्रगति 85.50 प्रतिशत है लेकिन डूंगरपुर में 44.18 प्रतिशत, बीकानेर में 53.13 प्रतिशत, सिरोही में 61.04 प्रतिशत, अलवर में 68.32 प्रतिशत, नागौर में 74.51 प्रतिशत, हनुमानगढ में 74.87 प्रतिशत, पाली में 76.53 प्रतिशत, झुन्झुनूं में 77.05 प्रतिशत, सीकर में 79.57 प्रतिशत, कोटा में 82.51 प्रतिशत एवं चूरू में 84.13 प्रतिशत है जो राज्य औसत से कम है। अति0 मुख्य सचिव महोदय ने समस्त सीईओ/एसीईओ को निर्देशित किया कि उक्त शौचालयों का निर्माण दिनांक 31.07.2019 तक निर्माण करवाकर शत प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करे।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मद में 425130 निर्मित शौचालयों का भुगतान किया जाना शेष है। 10 हजार से अधिक शौचालयों का भुगतान बकाया जिले यथा–डूंगरपुर मे 50202, बांसवाड़ा में 37717, उदयपुर में 37359, करौली में 34131, जयपुर में 33244, प्रतापगढ में 29909, दौसा में 25112, बीकानेर में 22132, पाली में 17251, भरतपुर में 17165, अलवर में 11464, नागौर में 10973, चित्तौड़गढ में 10967 एवं भीलवाड़ा में 10006 शौचालयों का भुगतान बकाया चल रहा है। इस संबंध में अति0 मुख्य सचिव महोदय ने समस्त सीईओ/एसीईओं को निर्देश दिये कि निर्मित शौचालयों का भुगतान शीघ्र से शीघ्र कर अवगत करावे।

आदर्श शौचालय प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 50000 रूपये की लागत से बनाया जाना है। आदर्श शौचालय निर्माण की राज्य औसत प्रगति 10.51 प्रतिशत है। लेकिन अलवर, बांसवाड़ा, बांरा, भरतपुर, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ, सवाईमाधोपुर, सीकर, एवं उदयपुर में शून्य प्रगति है तथा चित्तौडगढ़ में 0.69 प्रतिशत, हनुमानगढ में 1.59 प्रतिशत, नागौर में 1.71 प्रतिशत, सिरोही में 4.32 प्रतिशत, बाडमेर में 5.11 प्रतिशत, भीलवाड़ा में 6.25 प्रतिशत, जालौर में 8.03 प्रतिशत, पाली में 8.10 प्रतिशत एवचं करौली में 9.25 प्रतिशत है। शून्य प्रगति एवं औसत से कम प्रगति होने से अति0 मुख्य सचिव महोदय ने उपस्थित समस्त जिला कलेक्टर एवं सीईओ को निर्देशित किया कि इस माह के अन्त तक प्रगति में शत–प्रतिशत उपलब्धि अर्जित किया जाना सुनिश्चित करे।

विधानसभा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में सही सूचना भिजवाने बाबतः–

रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के संबंध में विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में अवगत कराया है कि बांसवाड़ा, करौली, बारां, प्रतापगढ, डूंगरपुर, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सिरोही एवं कोटा में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं बने हुए की सूचना दी गयी है जो गलत है। सभी जिलो में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बने हुए है। इन स्ट्रक्टचर के निर्माण के समय से ही पानी लिकेज होना, छत में पाईप नहीं लगाये गये तथा पाईपों में केक आने के कारण पानी लिकेज हो रहा है। इनको ठीक करवावे तथा वर्षा के पानी का संग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे।

विधानसभा के प्रश्नों का उत्तर भिजवाने के संबंध मेंः–

तारांकित एवं अतांराकित प्रश्नों में विभाग की विकास योजनाओं की सूचना के संबंध में प्रश्न माननीय विधायको के द्वारा पूछे जाते है। इन प्रश्नों की सूचना मंगाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अधूरी सूचना प्रेषित की जाती है। भविष्य में संपूर्ण सूचना समय पर भिजवाना सुनिश्चित करे।

जल स्त्रोतो में विद्युत कनेक्शन के संबंध मेंः–

जिलो में ट्यूबवैल खोदे गये है उनमें विद्युत कनेक्शन करवाने के उपरान्त ही पूर्ण माना जावेगा। राज्य के 14 जिलो से प्राप्त सूचनानुसार 2719 जल स्त्रोतों मे विद्युत कनेक्शन का अभाव है एवं जिन जिलो ने सूचना नहीं भिजवायी है वे सूचना अविलम्ब भिजवावे।

सौलर लाईट की वसूलीः–

सौलर लाईट के क्रय में हुई अनियमितता में 60.86 करोड़ की वसूली किया जाना था, लेकिन अब तक 8.32 करोड़ की वसूली की गयी हैं। वर्ष 2019–20 में वसूली शून्य हैं। संबंधित से नियमानुसार वसूली की जावे। अगस्त व सितम्बर माह मे 10–10 प्रतिशत एवं अक्टूबर माह में 20 प्रतिशत शेष सम्पूर्ण राशि नवम्बर माह में वसूली किया जाना सुनिश्चित कर सूचना अवगत करावे। हाईमास्ट लाईट क्रय नही की जावे। सौलर लाईट निर्धारित मापदण्डानुसार निविदा से क्रय की जावे।

टेबलेट क्रय करने के संबंध मेंः–

पंचायतीराज विभाग द्वारा दिनांक 27.02.2019 को प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक टेबलेट क्रय करने हेतु विस्तृत निर्देश एवं मापदण्ड जारी किये गये थे। तद्अनुसार दिनांक 26.06.2019 के पत्रानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक टेबलेट क्रय करने के आदेश जारी करावे ताकि 14वें वित्त आयोग के वर्ष 2019–20 के प्रति पंचायत 5–5 कार्यो की जिओ–टेगिंग एवं फोटोग्राफ अपलोड करने का लक्ष्य अर्जित किया जा सके।

राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की सुरक्षा के संबंध मेंः–

पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी आदेश वर्ष 2013 के अनुसार जॉब आउट सॉर्सिंग बेसिस आधार पर ऐजेन्सी को 3822/– रू. प्रतिमाह देने का प्रावधान था। न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार सेवायें लेने के संबंध में विभाग द्वारा संशोधित जारी आदेश दिनांक 08.07.2019 की अक्षरशः पालना कर मजदूरी का भुगतान किया जावें।

जनता जल योजनाः–

जनता जल योजनान्तर्गत लगभग 105 करोड़ जेजेवाई एवं 115 करोड़ रू. के ग्राम पंचायतों के बिजली के बिल बकाया है, जिनका भुगतान अनुदान राशि में से प्राथमिकता के आधार पर किया जावे।

किसान सेवा केन्द्र एवं आगनबाड़ीः–

आरआईडीएफ 17,19,20 योजनान्तर्गत स्वीकृत किसान सेवा केन्द्र के प्रगतिरत कार्यो को 30.08. 2019 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करे, जो कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके है उनकी अनुपयोगी राशि तथा पूर्ण कार्यो की अधिशेष राशि के डीडी बनाकर आयुक्त, कृषि निदेशालय को भिजवावे तथ इसकी सूचना पंचायतीराज विभाग को प्रेषित की जावे।

मिशन मोड योजनान्तर्गत स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनो के प्रगतिरत कार्यो को 30.08.2019 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करे, जो कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके है उनकी अनुपयोगी राशि तथा पूर्ण कार्यो की अधिशेष राशि के डीडी बनाकर महिला एवं बांल विकास को भिजवावे तथ इसकी सूचना पंचायतीराज विभाग को प्रेषित की जावे।

न्यायालय प्रकरणों के संबंध मेंः–

माननीय न्यायालयो में अवमानना के कुल 381 प्रकरण लम्बित है, जिनमें से 154 प्रकरणों का जवाब माननीय न्यायालय में पेश करना है। इस संबंध में आपको निर्देश दिये जाते है कि संबंधित महाधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर इनका जवाब माननीय न्यायालय में शामिल करावे तथा 192 प्रकरण जिनमे माननीय न्यायालय द्वारा निर्णीत आदेश की पालना किया जाना है जिनकी पालना सुनिश्चित की जावे। सिविल रिट पीटिशियन के कुल 547 प्रकरणों मे जवाब दिया जाना शेष है। इस संबंध में अति0 मुख्य सचिव महोदय ने सभी सीईओ को निर्देशित किया है कि 7 दिवस में सभी प्रकरणों में जवाब शामिल करावे तथा न्यायालय के आदेशों की पालना करे।

(जयपाल सिंह मेडतिया)
राज्य नोडल अधिकारी, PMAY-G

क्रमांक एफ 27(29) (16) ग्राविवि–5/सां./**M&E Reports/2019-20/**पार्ट–1 जयपुर, दिनांक 29 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि. एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि, राजस्थान, जयपुर।
3 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4 जिला कलक्टर, जिला समस्त राजस्थान।
5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त, राजस्थान।

राज्य नोडल अधिकारी, PMAY-G